POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983)

ग्रा.ग./2014/अंक 05

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2014

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! चुनावी गहमागहमी समाप्त होने को है। इस बार मतदाताओं ने काफी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी ने अपनी भूमिका पूरी आस्था से निभाई है। रिकार्ड मतदान सिद्ध करता है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है।

दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार में इस बार अजीबोगरीब तमाशा देखने को मिला। बड़ी-बड़ी रैलियां आयोजित करने, एक दूसरे को लांछित व अपमानित करने की होड़ और द्वेषपूर्ण अभद्र टिप्पणियां कसने में कोई राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं रही।

कुछ होने के बावजूद जनता ने बड़े ही सब्र के साथ अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों को कसौटी पर पूरी तरह परख कर आपना वोट दिया है। कसौटी पर कौन खरा उतरेगा यह तो अब इस महीने की 16 तारीख को सामने आने वाला है।

हाल ही प्रदेश के शहरी और देहाती क्षेत्रों में जो रुझान देखा गया, उसके अनुसार तो वर्तमान स्थितियां सत्ताधारी गठबन्धन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। क्योंकि, इस बार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे मतदाताओं पर खासतौर पर हावी रहे हैं।

इसके साथ ही देश की आबादी में शिक्षित युवाओं का प्रतिशत बढ़ा है, जिनकी वर्तमान राजनीति के प्रति सोच अच्छी नहीं रही। बुद्धिजीवी वर्ग और मीडिया ने भी इस बार राजनीतिक शुद्धिकरण को ज्यादा महत्व दिया है।

पहली बार देश में एक चेतना की लहर देखी गई है। यह एक परिवर्तन का संकेत है। लोगों को लगने लगा है कि देश में प्रजातंत्र के बेहतर युग की शुरुआत होने वाली है।

फोन, मोबाइल या इंटरनेट ठप्प तो मिलेगा हर्जाना

ऐसे निकला रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को टेलीग्राफ अथॉरिटी मान उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नहीं माना, उसने उपभोक्ता और कंपनी के बीच मीडिएशन को ही सुलह का रास्ता माना। बाद में सभी कंपनी लाइसेंसी होने से उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आ गई। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने इससे सभी उपभोक्ता मंचों को अवगत कराया है।

अब टेलीफोन, मोबाइल या इंटरनेट सेवा में गड़बड़ी पर उपभोक्ता सेवा प्रदाता कंपनी के अफसर का मोहताज नहीं रहेगा। इनमें गड़बड़ी होने पर अब उपभोक्ता मंच में शिकायत की जा सकेगी और मंच उपभोक्ता को मानसिक परेशानी के बदले कंपनी से हर्जाना भी दिला सकेगा।

दरअसल, वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंचों से इन मामलों को सुनने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन अब केन्द्रीय संचार मंत्रालय और केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात ने दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि इन मामलों की जिला मंच में भी सुनवाई हो सकेगी।

गौरतलब यह है कि 2009 के बाद से उपभोक्ता के पास सिर्फ दूरसंचार कंपनी के नोडल अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के पास ही अपनी शिकायत ले जाने का चारा बचा था। वहां समाधान नहीं होने पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) में मामला पहुंचता था। वह कंपनी पर जुर्माना भी लगाता था। उपभोक्ता की शिकायत तो दूर हो जाती थी, लेकिन उसे मानसिक परेशानी का कोई हर्जाना नहीं मिल पाता था।

पानी नहीं दिया, अब भरना होगा 51 हजार का हर्जाना

मामला जयपुर स्थित जवाहर नगर सेक्टर-4 स्थित पानी की टंकी से जुड़ा है। 18 मार्च, 2011 को 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी अपनी मांगें मनवाने के लिए इस टंकी पर चढ़ गए थे। उनके टंकी से नीचे उतरने तक 18 मार्च से 19 मार्च सुबह तक आस-पास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं की गई। जलदाय विभाग की तरफ से पानी सप्लाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। क्षेत्र की निवासी सुधा जैन ने निजी सप्लायर से 300 रुपए चुकाकर पानी का टैंकर मंगाया।

इसे लेकर सुधा जैन ने उपभोक्ता मंच में जलदाय विभाग के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मंच ने सुनवाई पर जलदाय विभाग को पानी की टंकियों की सुरक्षा नहीं करने और पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने के लिए जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता को दोषी माना। मंच ने जलदाय विभाग को आदेश दिया कि वह सुधा जैन के खर्च हुए 300 रुपए मय 15 फीसदी ब्याज के अदा करें। साथ ही मंच ने विभाग को 51 हजार रुपए का हर्जाना देने के भी आदेश दिए। यह राशि तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी।

प्रशिक्षण मिला न रोजगार

राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और अकुशल व्यक्तियों को कुशल मानव शक्ति में बदलने को शुरू हुई 'ट्रेन-टू-गेन' योजना ने ठण्डे बस्ते में ही दम तोड़ दिया। उद्योग विभाग की उदासीनता के चलते योजना का प्रचार-प्रसार ही नहीं हो पाया। ऐसे में बेरोजगारों ने प्रशिक्षण के लिए आवेदन नहीं किया।

पिछली सरकार के कार्यकाल 2011 में शुरू की गई इस योजना में 18 से 45 साल की आयु के कम से कम दसवीं पास व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर, रोजगार देने का प्रावधान था। नियोजकों की ओर से होने वाले प्रशिक्षण में उन्हें वेतन या मानदेय दिया जाना था। इसका 50 फीसदी या अधिकतम 2000 रुपए की सहायता उद्योग विभाग की ओर से दी जानी थी। जालौर जिले में 2012-13 में एक भी व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया। इससे प्रशिक्षण राशि लेप्स हो गई।

पंचायती राज संस्थाओं में गबन

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं गबन-घोटालों की नई जगह बन गई है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, 2012 तक प्रदेश की पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 21 करोड़ 55 लाख रुपए का गबन हुआ है।

प्रदेश की 260 ग्राम पंचायतों में 50 हजार से भी ज्यादा और 6591 ग्राम पंचायतों में 50 हजार रुपए तक के गबन के मामले सामने आए हैं। 458 पंचायत समितियों और दो जिला परिषदों में भी गबन के मामले मिले हैं। सबसे ज्यादा मामले ग्राम पंचायतों में हैं। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम में भी आठ करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी पकड़ी गई है।

खाद, बीज पर सरकार रखेगी नजर

प्रदेश में अब कृषि के लिए उपयोग में आने वाले बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं पर राज्य सरकार पूरी नजर रखेगी। इसके लिए सरकार ने राज्य स्तर पर और जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया है।

सरकार ने बाजार में घटिया व कम तोल के बीज किसानों को मिलने की शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इन सतर्कता समितियों को किसी भी बीज, उर्वरक और कीटनाशक उत्पाद निर्माता कंपनियों की जांच करने का अधिकार होगा।

बढ़ गई बिजली चोरी की वारदातें

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां पहले से ही करोड़ों का घाटा दिखा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले जनप्रतिनिधियों द्वारा सवाल खड़ा करने पर तत्कालीन सरकार ने बिजली चोरों पर दरियादिली दिखाई थी। नतीजतन, प्रदेशभर में विजिलेंस चैकिंग के अभियंताओं ने मासिक जांच के लक्ष्य आधे कर दिए थे। इससे बिजली चोरों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने चुनावों के दौरान जमकर बिजली चोरी की। इससे डिस्कॉम को करोड़ों रुपए का फटका लगा।

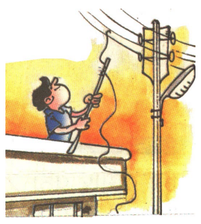

अब बिजली चोरों को दी गई छूट का सीधा असर जनता पर आएगा, क्योंकि छीजत में बढ़ोतरी पर कंपनियों का घाटा बढ़ेगा। इस घाटे को कंपनियां प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग में पेश कर बिजली की दर में बढ़ोतरी के लिए याचिका दायर करती है। जिसका भार आम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है।

पानी को तरसे 800 गांव

झालावाड़ जिले में भले ही सरकार ने पिछले दस सालों के दौरान पेयजल योजनाओं के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हों, लेकिन अब भी जिले के करीब 50 फीसदी गांवों के लोग पेयजल के लिए हैण्डपंपों व कुओं के भरोसे ही है।

गर्मी के दिनों में हैण्डपंप व कुओं का जल स्तर गिरने से ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता है। वैसे तो यह जिला नदियों व तालाबों के मामले में समृद्ध है, इसके बावजूद हर साल गर्मी में पेयजल की समस्या खड़ी हो जाती है। इसके लिए जलदाय विभाग की नीतियां जिम्मेदार है। अभी भी जिले के 1625 गांवों में से करीब 800 गांवों में नलों से पानी नहीं पहुंच पाया है।

आवास योजना में मनमर्जी का खेल

मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में करोड़ों रुपए अपात्रों को बांट देने का गंभीर मामला सामने आया है। नागौर जिले के मकराना नगर परिषद में प्रदेश में सर्वाधिक करीब 3500 आवेदकों को योजना के तहत लाभान्वित करना सामने आया था।

इस पर स्वायत शासन निदेशक के निर्देश पर की गई जांच में खुलासा हुआ कि इनमें से 2500 परिवारों को 25 हजार रुपए प्रति परिवार के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि की बंदरबांट हुई है। जबकि करीब 1000 आवेदक ही सहायता पाने के वास्तविक हकदार थे।

मामले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नागौर, डीडवाना, मेड़ता, सरवाड़ व पुष्कर पालिकाओं में भी जांच की जा रही है।

प्रदेश में बना गो सेवा निदेशालय

प्रदेश में गो सेवा निदेशालय का गठन किया गया है। भाजपा के घोषणा-पत्र में यह वादा किया गया था। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे पूरा किया है। निदेशालय के अधीन होने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

गो सेवा आयोग और प्रदेश में संचालित डेयरियां अब निदेशालय के अधीन होंगी। निदेशालय देशी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और नस्ल सुधार के साथ-साथ पशु प्रजनन नीति के अनुसार विदेशी नस्ल के संकरीकरण को प्रोत्साहित करेगा। चरागाहों और गोशालाओं की भूमियों को चिन्हित कर चरागाह विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा।

आदिवासी जिलों में मिलेगी नौकरी

राज्य में आदिवासी बहुल जिलों में नौकरी लगने पर अब वहां नौकरी करनी ही होगी। किसी भी तरह का जुगाड़ लगा कर दूसरे जिले में तबादला संभव नहीं होगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में 23 तहसीलों को मिलाकर एक विशेष अनुसूचित क्षेत्र बनाया हुआ है। यहां के लिए सरकार अलग सेवा नियम बना रही है।

इन जिलों में आपस में ही तबादले हो सकेंगे। इसके लिए कार्मिक विभाग अधीनस्थ सेवाओं से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने में जुटा है। राज्य सेवा में चयनित अधिकारियों का तबादला दूसरे जिलों में भी किया जा सकेगा।

अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों का इन जिलों के लिए अलग से चयन किया जाएगा और उनकी सेवाएं इन्हीं जिलों में होंगी।

जनता के पैसों की बरबादी

संसद के हर सत्र में सांसदों के हंगामें से संसद की कार्यवाही नहीं चल पाती। इससे जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए बरबाद हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दोनों सदनों की कार्यवाही में हर मिनट ढ़ाई लाख रुपए खर्च होते हैं।

यह वह राशि है जो जनता से तमाम टैक्स लगाकर सरकार वसूलती है। पिछले दिनों तेलंगाना मुद्दे पर हंगामें के कारण दो दिन में करीब 6.75 करोड़ रुपए बरबाद हो गए। राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि हंगामा खड़ा करना और सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना जैसी गतिविधियां उनकी पार्टी की छवि को धूमिल करती है। - सुमित भार्गव, कोटा

जब्त हो आय से अधिक सम्पत्ति

आय से अधिक सम्पत्ति जब्त करने के लिए राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 विधान सभा में पारित हुए सवा साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन पिछली सरकार की सुस्ती के चलते कानून अमल में नहीं आ पाया।

आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के कई मामले सामने आते रहते हैं। सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं होता, जल्द कार्रवाई होना भी जरूरी है। इससे करोड़ों रुपए की सम्पत्ति स्कूल-अस्पताल आदि के लिए मिल सकेगी। अब नई सरकार को कानून को अमल में लाने के प्रति गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।

- माणकचंद शर्मा, अलवर

ग्रामीण सड़कों पर लगेगा 'टोल'!

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न योजनाओं में करीब 45 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनी प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त रखना राज्य सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है।

इन ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव के मकसद से राज्य सरकार इन पर टोल की तर्ज पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है।

जैविक खेती को बढ़ावा

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की 58 प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि है। जैविक खेती के प्रसार का सीधा संबंध उपभोक्ता सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। 'कट्स' द्वारा एस.एस.एन.सी., स्वीडन के आर्थिक सहयोग से राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दो वर्षीय परियोजना राजस्थान राज्य के छह सघन कृषि बहुल जिलों जयपुर, दौसा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा में संचालित की जा रही है।

इस परियोजना के तहत जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने, क्षमतावर्धन करने एवं जन पैरवी की गतिविधियों द्वारा आमजन को इसका महत्व बताने का प्रयास किया जाएगा। परियोजना के तहत की जाने वाली गतिविधियों से किसानों में जैविक खेती के प्रति रूझान बढ़ेगा। इससे न केवल किसानों एवं उपभोक्ताओं को दीर्घकालीन लाभ होगा, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। परियोजना से प्राप्त सुझावों से सरकारी नीति-निर्माता एवं सम्बन्धित विभाग भी इस दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ा सकेंगे।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485